

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

—:: परिपत्र ::—

क्रमांक-2326 / दो-12-05 / 86

दमोह, दिनांक 02/07/2025

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि न्यायिक अधिकारीगण एवं तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण ऐच्छिक अवकाश के आवेदन एक दिवस पूर्व देकर अवकाश पर चले जाते हैं। जोकि नियमानुसार उचित नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के नोटशीट आदेश दिनांक 18.10.1994 के अनुसार ऐच्छिक अवकाश आवेदन हेतु 07 दिवस पूर्व अवकाश आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसी प्रकार पूर्व कार्यालयीन परिपत्र क्र. 2162 दिनांक 08.10.2015 में भी ऐच्छिक अवकाश के आवेदन पत्र नियमानुसार एक सप्ताह पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करने संबंधी निर्देशित किया गया था, किंतु उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण तथा तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐच्छिक अवकाश आवेदन निर्धारित समयावधि अर्थात् 07 दिवस पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे अन्यथा की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दमोह (म.प्र.)

पृ. क्रमांक-2326 / दो-12-05 / 86

दमोह, दिनांक 02/07/2025

आदेशानुसार प्रतिलिपि :-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगणदमोह/हटा/पथरिया/तेन्दूखेडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण दमोह/हटा/पथरिया/तेन्दूखेडा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, दमोह की ओर जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर माननीय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

02.07.25

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

दमोह (म.प्र.)